भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

**राज्यसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3173**

उत्तर देने की तारीख 22.03.2018

**बाघ अभयारण्यों में रहने वाले वनवासी**

3173. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में बाघ अभयारण्यों में रहने वाले आदिवासियों एवं वनवासियों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लोगों के अधिकारों को इस बात पर ध्यान दिए बिना मान्यता प्रदान की जानी है कि उनके क्षेत्र की पहचान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संकटग्रस्त वन्यजीव वास-स्थल के रूप में की गई है या नहीं;

(ग) क्या वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर आदिवासियों एवं वनवासियों को बेदखल किए जाने के मामले सामने आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन लोगों के उपयुक्त अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कौन-से कदम उठा रही है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री सुदर्शन भगत)

(क): ऐसे आंकड़ें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा न तो एकत्रित किए जाते हैं और न ही इनका रख-रखाव किया जाता है।

(ख): जी, हां।

(ग): ऐसे कोई मामले जनजातीय कार्य मंत्रालय की जानकारी में नहीं आये हैं।

(घ): उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

\*\*\*\*